राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1272/2025

विकास कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 20.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वन संरक्षक के पद पर रेंज नोहर, उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2016 में वनरक्षक के पद पर उपवन संरक्षक, हनुमानगढ़ में मृतक आश्रित सेवा नियमों के तहत हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेंज नोहर, उपवन संरक्षक, हनुमानगढ़ में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का गलत नाम दर्शाते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी नाम विकास कुमार है, जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम विकास सिहाग अंकित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 15.01.2025 की मध्यरात्रि तक आलौच्य आदेश जारी नहीं किया था। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 को जारी करते हुए विभाग में मेल किया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश पिछली तारीख डालते हुए जारी किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 सक्षम विभाग से व मुख्यमंत्री कार्यालय से बिना छूट प्राप्त किये आलोच्य आदेश जारी नहीं कर कर सकता। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जानबूझकर दिनांक 16.01.2025 को आदेश पारित करने के बावजूद आलोच्य

आदेश में 15.01.2025 तारीख अंकित की है। प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश में डिजीटल हस्ताक्षण नहीं किये है। जबकि राज्य सरकार ने सभी विभागों को समस्त आदेशों पर डिजीटल हस्ताक्षर करने के निर्देश जारी कर रखे है। अपीलार्थी की माता करीब 60 वर्षीय वृद्ध महिला है तथा अपीलार्थी के 1 वर्ष 6 माह की पुत्री है। उनकी देखभाल अपीलार्थी के द्वारा ही की जाती है, उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान वन संरक्षक के पद पर रेंज नोहर, उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वन संरक्षक के पद पर रेंज नोहर, उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रेंज नोहर, उपवन संरक्षक, हनुमानगढ़ में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण कर दिनांक 16.01.2025 को कार्यमुक्त किया गया है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। अपीलार्थी वर्तमान पद पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 16.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य